समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश।

बिन्दु सं0–1
अपने संगठन की विशिष्टयाँ, कृत्य और कर्तव्य

स्वतंत्रता से पूर्व अपराधशील जातियों के कल्याणार्थ वर्ष 1940–41 से एक अलग विभाग रिक्लीमेशन विभाग के नाम से चल रहा था जो कि रिक्लीमेशन अधिकारी के अधीन था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात रिक्लीमेशन कार्य एवं शैक्षिक सुविधा संबंधी कार्य को वर्ष 1948–49 में समाज कल्याण विभाग में शामिल कर लिया गया। हरिजन सहायक विभाग के रूप में वर्ष 1948–49 में इस विभाग की स्थापना हुई। इसके पूर्व अनुसूचित जाति तथा जनजाति के छात्रों को कुछ शैक्षिक सुविधायें शिक्षा विभाग से दी जाती थी और हरिजन सहायक विभाग मूलतः अनुसूचित जाति से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा था। वर्ष 1955 में सोशल सेक्टर से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु समाज कल्याण विभाग की स्थापना की गयी। सामंजस्य तथा समन्वय की दृष्टि से अलग–अलग चल रहे उक्त दोनों विभागों को वर्ष 1961 में हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के रूप में करते हुए निदेशक हरिजन एवं समाज कल्याण के अधीन कर दिया गया। वर्ष 1991–92 में विभाग का नाम परिवर्तित कर समाज कल्याण विभाग कर दिया गया। शासन स्तर पर सचिव, समाज कल्याण एवं जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी के अधीन उक्त विभाग संचालित होने लगा। वर्ष 1977–78 में योजना स्तर पर एवं अधीनस्थ स्टाफ स्तर पर उक्त विभागों का संविलीनीकरण कर दिया गया। सन 1967 में भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 6 जातियों थारू, भोक्सा, भोटिया, राजी (वनरावत) व जौनसारी को अनुसूचित जनजाति घोषित करके अनुसूचित जातियो की भांति इनके कल्याणार्थ अनेक योजनायें संचालित की गयी। वर्ष 1984 में जनजाति विकास हेतु पृथक से निदेशालय की स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक एवं विकलांग से संबंधित योजनाओं को अधिक सघन एवं प्रभावी ढंग से संचालित किये जाने हेतु दिनांक 12.08.1995 को पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, विकलांग कल्याण विभाग का गठन करते हुए इनके कल्याण से संबंधित योजनायें उक्त विभागों को स्थानान्तरित कर दी गयी तथा महिलाओं और बच्चों से संबंधित योजनाओं को महिला एवं बाल कल्याण विभाग को स्थानान्तरित कर दिया गया।

समाज कल्याण विभाग द्वारा विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग के व्यक्तियों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन कर उन्हें लाभान्वित किये जाने हेतु प्रयासरत हैं। उपरोक्त वर्गों के छात्रों के कल्याणार्थ छात्रवृत्ति योजना, निःशुल्क प्रशिक्षण, प्रतियोगात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग एवं निवास हेतु छात्रावासों की सुविधा भी विभाग द्वारा उपलबध करायी जाती है। साथ ही साथ आश्रम पद्धति विद्यालयों के माध्यम से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्र–छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा के साथ आवासीय सुविधा भी उपलब्ध करायी जाती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना, पारिवारिक लाभ योजना, बुक–बैंक योजना, प्राथमिक पाठशालाओं को अनुदान, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों एवं छात्रावासों की स्थापना तथा आर्थिक समस्याओं के निराकरण हेतु उत्पीड़न की घटनाओं में आर्थिक सहायता, पुत्रियों की शादी एवं बीमारी के इलाज हेतु अनुदान दिया जाना मुख्य है। स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा स्वतः रोजगार योजना, सेनिटरी मार्ट योजना, दुकान निर्माण योजना, प्रशिक्षण की योजनायें संचालित की जा रहीं हैं। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा निःशुल्क बोरिंग भी संचालित की जा रही है। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम द्वारा विभागीय निर्माण कार्यो का सम्पादन किया जाता है।

समाज कल्याण विभाग की योजनाओं के संचालन का मुख्य उद्देश्य **"सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय"** की भावना को साकार करते हुए समाज के आर्थिक रूप से निर्बल वर्गों का कल्याण करना है।

विभाग द्वारा संचालित प्रमुख कार्यक्रम

छात्रवृत्ति योजना –

निर्बल वर्गो का शैक्षिक विकास ही उनके सर्वांगीण विकास की कुंजी है। इस तथ्य के दृष्टिगत अनुसूचित जाति/जनजाति के कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए पूर्वदशम योजना तथा कक्षा 10वीं से उपर की कक्षाओं एवं व्यवसायिक पाठ्क्रमों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति एवं इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज तथा प्रबन्धन संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्रों की फीस उनके विद्यालयों/संस्थाओं को सीधे विभाग द्वारा शुल्क की प्रति पूर्ति किये जाने की योजना संचालित की जा रही है जो समय–समय पर संशोधित होती रहती है।

वित्तीय वर्ष 2007–08 में नियोजन विभाग से निर्गत शासनादेश संख्या–874/35–4–2007 दिनॉक 22–6–2007 के द्वारा छात्रवृत्ति के सम्पूर्ण कम्प्यूटरीकरण की व्यवस्था लागू की गयी है।

पूर्वदशम अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना –

प्रदेश सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत समस्त अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को देय छात्रवृत्ति के लिए पात्रता की कोई आय–सीमा प्रतिबंधित नही है। कक्षा 9 व 10 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को देय छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित आय–सीमा रू0 30000 प्रति वर्ष है। कक्षा 1 से 5 में अध्ययनरत छात्रों को रू0 25/– प्रतिमाह, कक्षा 6 से 8 अध्ययनरत छात्रों को रू0 40/– प्रतिमाह तथा कक्षा 9–10 में अध्ययनरत छात्रों को रू0 60/– प्रतिमाह छात्रवृत्ति की दर निर्धारित है।

पूर्वदशम सामान्य वर्ग छात्रवृत्ति योजना –

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग के अभिभावकों, जिनकी वार्षिक आय प्रति परिवार रू0 19884/– (ग्रामीण क्षेत्र) तथा रू0 25546/– (शहरी क्षेत्र) हो, को उपर्युक्त दर पर कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कक्षा 1 से 5 में अध्ययनरत छात्रों को रू0 25/– प्रतिमाह, कक्षा 6 से 8 अध्ययनरत छात्रों को रू0 40/– प्रतिमाह तथा कक्षा 9–10 में अध्ययनरत छात्रों को रू0 60/– प्रतिमाह छात्रवृत्ति की दर निर्धारित है।

दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति योजना –

कक्षा 10 के ऊपर की कक्षाओं में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग के निर्धन मेधावी छात्रों जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा रू0 1,00,000/– तक के हैं, को दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान की जाती है।

अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के छात्र जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय रूपया 1,00,000/– से अधिक न हो, को 4 श्रेणियों में बॉटते हुये निम्नानुसार आवासीय एवं अनावासीय दरों पर छात्रवृत्ति की सुविधा देय है।

क्र0सं0	श्रेणी	दरें	
		आवासीय	अनावासीय
1.	श्रेणी–1	रूपया 740/– प्रतिमाह	रूपया 330/– प्रतिमाह
2.	श्रेणी–2	रूपया 510/– प्रतिमाह	रूपया 330/– प्रतिमाह
3.	श्रेणी–3	रूपया 355/– प्रतिमाह	रूपया 185/– प्रतिमाह
4.	श्रेणी–4	रूपया 235/– प्रतिमाह	रूपया 140/– प्रतिमाह

श्रेणीवार पाठ्यक्रम का विवरण निम्नवत् हैः–

श्रेणीः–1

औषधि (एलोपैथिक, भारतीय तथा अन्य मान्यता प्राप्त औषधि पद्धतियों) इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी, कृषि, पशु चिकित्सा एवं सम्बद्ध विज्ञान, प्रबन्धन, बजनेस, वित्त, प्रशासन तथा कम्प्यूटर अनुप्रयोग, वाणिज्यिक पाइलेट लाइसेंस (हेलीकाप्टर पायलेट तथा मल्टी इंजनरेटिंग) पाठ्यक्रम में डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम (एम0फिल0 पी0एच0डी0 तथा पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान सहित)

श्रेणीः–2

श्रेणी–1 में शामिल न किये गये अन्य व्यवसायिक तथा तकनीकी स्नातक तथा स्नातकोत्तर (एम0फिल0 पी0एच0डी0 तथा पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान सहित) स्तरीय पाठ्यक्रम। सी0ए0, आई0सी0 डब्लू0ए0/सी0एस0 आदि पाठ्यक्रम। सभी स्नातकोत्तर, स्नातक स्तरीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम, सभी प्रमाणपत्र स्तरीय पाठ्यक्रम।

श्रेणीः–3

स्नातक या इससे अधिक की डिग्री के सभी अन्य पाठ्यक्रम (जो श्रेणी–1 तथा 2 में शामिल नहीं किये गये हों)

श्रेणीः–4

श्रेणी–2 व 3 में शामिल न किये गये 10 प्लस 2 पद्धति में कक्षा 11 एवं 12 और इंटरमीडिएट परीक्षा आदि जैसे स्नातक करने से पूर्व सभी मैट्रिकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम। आई0टी0आई0 पाठ्यक्रम (यदि पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिये न्यूनतम अपेक्षित अर्हता कम से कम मैट्रिकुलेशन हो।)

शुल्क प्रतिपूर्ति

1. अनुसूचितजाति के छात्रों को प्रवेश शुल्क (नानरिफन्डेबल शुल्क) की धनराशि समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है।
2. सामान्य वर्ग के छात्रों जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय रूपया 1,00,000/– तक है, को शासकीय शिक्षण संस्थाओं/ शासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के लिये निर्धारित अनिवार्य प्रवेश शुल्क (नानरिफडेबल शुल्क) की प्रतिपूर्ति की जाती है अर्थात सामान्य वर्ग के ऐसे छात्र जो किसी गैर सहायता प्राप्त/निजी प्रबन्धतन्त्र द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्ययनरत हैं उन्हें केवल शासकीय शिक्षण संस्थाओं/शासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में निर्धारित देय प्रवेश शुल्क (नानरिफंडेबल शुल्क) की प्रतिपूर्ति समाज कल्याण विभाग द्वारा की जाती है।

अस्वच्छ पेशा छात्रवृत्ति योजना –

इस योजना के अन्तर्गत अस्वच्छ पेशे में लगे अभिभावकों के बच्चों को कक्षा 1 से 10 तक की कक्षाओं में अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने का प्राविधान है। इस हेतु आय–सीमा का कोई प्रतिबन्ध नही है।

वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना –

वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत वर्ष 2008–09 से बी0पी0एल0 सूची 2002 में सम्मिलित परिवारों के 60 वर्ष से अधिक आयु के समस्त वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन दिये जाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत 60 वर्ष सें अधिक आयु के वृद्धजनों को रू0 300/– प्रति माह की दर से वर्ष में दो बार छमाही किस्तों में धनराशि उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है।

65 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों को इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना से लाभान्वित किया जाता है। जिसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा रू0 200/– प्रति माह प्रति लाभार्थी तथा राज्य

सरकार द्वारा रू0 100/– प्रति माह प्रति लाभार्थी अंशदान उपलब्ध कराते हुए रू0 300/– प्रति माह की दर से वृद्धावस्था पेंशन उपलब्ध करायी जाती है। 60 से 65 वर्ष आयु वर्ग के वृद्धजनों को राज्य सरकार द्वारा अपने श्रोतों से रू0 300/– प्रति माह प्रति लाभार्थी की दर से पेंशन प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना –

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा(नगरीय क्षेत्र में रू0 25546/– तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू0 19884/– आय सीमा तक) के नीचे जीवन–यापन करने वाले पारिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर उसके आश्रित को रू0 20000/– (रूपया बीस हजार मात्र) की आर्थिक सहायता एक मुश्त दिये जाने का प्राविधान है। सहायता राशि में रू0 10,000/– राज्य सरकार एवं रू0 10,000 केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत आर्थिक सहायता –

अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के प्रति सामान्य अस्पृश्यता (छूआछूत) की भावना समाप्त करने के उददेश्य से नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के प्राविधानों का क्रियान्वयन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है।

अत्याचार उत्पीड़न के शिकार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के सहायता हेतु रू0 15 हजार से रू0 2 लाख तक की आर्थिक सहायता तात्कालिक प्रभाव से दिये जाने की व्यवस्था है। बजट न उपलब्ध होने की दशा में टी0आर0–27 के माध्यम से धनराशि आहरित कर तात्कालिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है।

अनुसूचित जाति एवं सामान्य गरीब परिवारों के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी एवं उनके परिजनों के इलाज हेतु अनुदान योजना –

अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के निर्धन एवं असहाय व्यक्तियों जिनकी वार्षिक आय सीमा शहरी क्षेत्र में रू0 25546/– प्रति परिवार प्रति वर्ष एवं ग्रामीण क्षेत्र मे रू0 19884/– प्रति परिवार प्रति वर्ष हो, के पुत्रियों की शादी हेतु रू0 10 हजार तथा उनके परिजनों की बीमारी के इलाज हेतु रू0 5000/– आर्थिक सहायता दिये जाने की योजना संचालित है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अनुसूचित जाति की पुत्रियों की शादी हेतु रू0 20,000/– की सहायता दी जाती है।

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय –

अनुसूचित जाति/विमुक्त जाति के छात्र–छात्राओं के शैक्षिक स्तर में सुधार तथा साक्षरता दर वृद्धि हेतु प्रदेश में 80 आश्रम पद्धति विद्यालय स्वीकृत हैं जिसमें 23 बालिकाओं के तथा 57 बालकों के हैं। इन विद्यालयों में छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, आवास, भोजन, ड्रेस, पाठ्य–पुस्तकें एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। स्वीकृत 80 विद्यालयों के सापेक्ष वर्तमान में 57 विद्यालय संचालित हैं। शेष विद्यालयों के भवन निर्माणाधीन हैं।

अनुसूचित जाति छात्रावास निर्माण योजना –

प्रदेश में अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं के आवासीय समस्या के दृष्टिगत कुल 252 छात्रावास स्वीकृत हैं जिसमें से 220 छात्रावास निर्मित हो चुके हैं, शेष के निर्माण संबंधी कार्यवाही प्रगति पर है। निर्मित छात्रावासों के सापेक्ष 168 छात्रावास संचालित है जिनमें छात्रों के लिए 141 छात्रावास एवं छात्राओं के लिए 27 छात्रावास हैं, शेष छात्रावासों के संचालन के लिए वित्तीय एवं अन्य व्यवस्थायें की जा रही हैं, जिसमें पहली योजना बालकों हेतु एक केन्द्र पुरोनिधानित योजना (50–50 प्रतिशत) है। अनुसूचित जाति बालक/बालिकाओं हेतु छात्रावास की एक तीसरी योजना पूर्णतयः राज्य सरकार द्वारा संचालित है

राज्य उच्च स्तरीय सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व कोचिंग केन्द्र योजना –

अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, भागीदारी भवन, लखनऊ, द्वारा कोचिंग की सुविधा प्रदान की जा रही है।

इसी प्रकार अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आदर्श पूर्व परीक्षा केन्द्र, अलीगंज, लखनऊ एवं अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों के लिए पी0सी0एस0(जे) कोचिंग केन्द्र, इलाहाबाद के माध्यम से कोचिंग सुविधा से लाभान्वित किया जा रहा है।

उपरोक्त संस्थाओं में कोचिंग प्राप्त किये जाने हेतु अभ्यर्थी/अभिभावक की वार्षिक आय रू0 60,000/– से अधिक न हो तथा अभ्यर्थी सम्बन्धित परीक्षा में बैठने की शैक्षिक अर्हता रखता हो।

इसी प्रकार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग के अभिभावकों के आश्रित छात्रों को उत्कृष्ट श्रेणी की कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से कोचिंग दिये जाने हेतु नई योजना संचालित की जा रही है।

वृद्ध एवं अशक्त गृहों का संचालन –

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में पुरूषों हेतु लखनऊ जनपद में 50–50 वृद्धों की क्षमता वाले एक निराश्रित वृद्ध/अशक्त गृह संचालित हैं। जिनमें संवासियों को निःशुल्क आवास व भोजन आदि की सुविधा सुलभ करायी जाती है।

राजकीय भिक्षुक गृहों का संचालन –

भिक्षावृत्ति जैसी सामाजिक कुरीति को प्रतिबंधित करने हेतु वर्ष 1975 में भिक्षावृत्ति(प्रतिषेध) अधिनियम अस्तित्व में आया। इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रदेश में पर्यटन/तीर्थ स्थलों एवं अन्य महत्वपूर्ण शहरों में भिक्षुक गृह संचालित हो रहे हैं। वाराणसी, मथुरा, आगरा, फैजाबाद, इलाहाबाद, लखनऊ एवं कानपुर में पुरूष भिक्षुकों हेतु इन गृहों का संचालन हो रहा है। फैजाबाद में महिलाओं हेतु एक पृथक से भिक्षुक गृह संचालित हैं।

डा0 अम्बेडकर जन्म शताब्दी फाउन्डेशन निधि से विशेष छात्रवृत्ति –

इस योजना के अन्तर्गत हाईस्कूल व इण्टर की माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के 100–100 छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने की व्यवस्था है। हाईस्कूल परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले अगले पाठ्यक्रम में अध्ययन हेतु रू0 250/– मासिक दर से 10 माह हेतु कुल रू0 2500/– वार्षिक तथा इण्टर परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर अगले पाठ्यक्रम में अध्ययन हेतु रू0 350/– मासिक दर से 10 माह हेतु कुल रू0 3500/– वार्षिक छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की जाती है।

मेरिट उच्चीकृत योजना –

यह योजना शत प्रतिशत केन्द्र वित्त पोषित है जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को कक्षा 9 से 12 तक विशेष कोचिंग प्रदान की जाती है।

यह योजना प्रदेश के 6 राजकीय इण्टर कालेजों (इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, झांसी, मुरादाबाद एवं आगरा) में संचालित है। इसके अन्तर्गत कक्षा 9 व 10 में रेमेडियल कोचिंग तथा कक्षा 11 व 12 में व्यवसायिक पाठ्क्रमों में विशेष कोचिंग की व्यवस्था है।

स्वैच्छिक संगठनों द्वारा शिक्षा सम्बन्धी कार्य तथा उन्हें दी जाने वाली आर्थिक सुविधायें –

ऐसे संगठन जो अनुसूचित जाति के बच्चों को शिक्षा में गहरी रूचि लेते हैं और प्राइमरी पाठशालाओं को संचालित कर शिक्षा देते है, उन्हें शासन की वित्तीय स्थिति तथा नीतियों के अनुसार आवर्तक अनुदान दिया जाता है

ऐसी संस्थायें जो अनुसूचित जाति में शिक्षा के प्रसार हेतु वाचनालयों/पुस्तकालयों एवं छात्रावासों की भी सुविधायें देते हैं, उन्हें ही अनुदान दिया जाता है।

अनुदान के लिए स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित विद्यालयों में इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है कि इसमें अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या 50 प्रतिशत से कम न हो।

आवर्तक अनुदान प्राप्त प्राइमरी पाठशालाओं में अनुमन्य अध्यापकों के लिए विभाग द्वारा निर्धारित वेतनमान के अनुसार वेतन के समतुल्य धनराशि प्रत्येक वर्ष आवर्तक अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। आवर्तक अनुदान पर अनुदानित छात्रावासों/पुस्तकालयों को आवर्तक व्यय की मदों पर नियमानुसार देय धनराशि आवर्तक अनुदान के रूप में दी जाती है।

प्रदेश के अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु विभाग द्वारा राजकीय औद्योगिक आस्थानों का संचालन –

प्रदेश में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को शहरी क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने हेतु विभाग द्वारा 9 जनपदों–1–रामपुर 2–गाजीपुर 3–फतेहपुर 4–हरदोई 5–रानोपाली(फैजाबाद) 6–कालपी(जालौन) 7–मुजफ्फरनगर 8–रामनगर(वाराणसी) एवं 9–बदायूँ में औद्योगिक आस्थान संचालित हैं।

उपरोक्त आस्थानों में नवनिर्मित शेड सामान्य सुविधा केन्द्र तथा खुली भूमि पर एक हजार वर्ग गज के प्लाट उपलब्ध हैं जो अनुसूचित जाति के उद्यमियों को अपने उद्योग संचालित करने के लिए कम किराये पर उपलब्ध कराये जाते हैं प्रति शेड 25/– रूपये प्रति माह किराये पर तथा भूखण्ड लीज डीड एवं शर्तो के अधीन दिये जाने का प्राविधान है।

राजकीय उन्नयन बस्तियों का रख–रखाव –

वर्ष 1924 में ब्रिटिश काल में घोषित अधिनियम के अन्तर्गत अपराधीन जातियों को बसाने के उद्देश्य से उन्नयन बस्तियों की स्थापना की गयी। स्वतन्त्रता के बाद उन्हें अन्य नागरिकों की भंति स्वतन्त्र कर दिया गया। इनकों भूमि तथा कारखाने में कार्य दिलाकर बसाया गया है ताकि वे अपनी प्रवृत्ति को बदल कर कार्य करें एवं रोजी–रोटी में लग कर आदर्श नागरिक के रूप में जीवन–यापन कर सकें।

कल्याणपुर (कानपुर), फजलपुर (मुरादाबाद) तथा साहबगंज (लखीमपुरखीरी) में उपनिवेश बनाकर इस जाति के लोगों को रोजगार एवं खेतीबारी में लगाकर पुर्नवासित किया गया है।